न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 72/2018

अनवान :

1. अनिल कुमार लोर पुत्र श्री सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. सतवीर उर्फ सत्यवीर दतक पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुशील कुमार लोर पुत्र श्री सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल **: वादी**

वकील श्री कृष्ण भारी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :** 16.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 134/128 के खसरा सं0 124/1, 185, 193, 210/1, 303/1 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 8.777 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर दतक पुत्र श्योचन्द के नाम दर्ज है। उक्त भूमि धन्नाराम के समय की कृषि भूमि है। धन्नाराम से उक्त भूमि अपने पुत्र श्योचन्द, महीराम, सुरजा, मोमन, सुगना, प्यारी, चावली पिसरान धन्नाराम को विरासत में मिली है।

श्योचन्द पुत्र धन्नाराम के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं होने के कारण श्योचन्द ने अपने भाई सुरजाराम का पुत्र सतवीर उर्फ सत्यवीर को गोद ले लिया तथा श्योचन्द के देहान्त सन् 1989 में हो गया देहान्त के बाद उक्त भूमि प्रतिवादीसं0 1 सतवीर उर्फ सत्यवीर को विरासत में मिली। उक्त विरासतन भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का भी बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा विरासतन बनता है तथा उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर काश्त करते है प्रतिवादी सं0 1 भूमि को काश्त नहीं करता बल्कि दुकानदारी करता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अनिल कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि कम्प्युटराईज्ड जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा खाता सं0 134/128 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2039 से 42

प्रदर्श 2, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ड़ा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2039 से 42 पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2039 से 42 प्रदर्श 2 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा खाता सं0 62/64 सम्वत् 2039 से 42 पेश की है उसमें वाद भूमि वादी के दादा श्योचन्द वल्द सहीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में सत्यवीर उर्फ सतवीर पि0मु0 श्योचन्द के वारिसान में दो पुत्र अनिल कुमार लौर व सुशील कुमार लौर होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 134/128 के खसरा सं0 124/1, 185, 193, 210/1, 303/1 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 8.777 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर दतक पुत्र श्योचन्द के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..16.5.18....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 72/2018

अनवान :

1. अनिल कुमार लोर पुत्र श्री सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. सतवीर उर्फ सत्यवीर दतक पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुशील कुमार लोर पुत्र श्री सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 134/128 के खसरा सं0 124/1, 185, 193, 210/1, 303/1 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 8.777 है0 राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर दतक पुत्र श्योचन्द के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)